



छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक

CHHATTISGARH GRAMIN BANK

SCHEDULED BANK OWNED BY GOVERNMENT,

क्षेत्रीय कार्यालय : प्रिंस रेस्टोरेंट के बाजू में, गंजपारा, दुर्ग (छत्तीसगढ़) - 491001, Regional Office: Beside Prince Restaurant, Ganjpara, Durg (C.G.) - 491001, Ph. No. 6232032195 | Email: adv.ro.dur@crgb.bank.in | Website: www.crgb.bank.in

दिलिप भास्कर
24/3/2026

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अंतर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी तिथि 27.04.2026, सोमवार समय प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक

छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणियों को सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत मांग सूचना जारी किया गया था एवं सरफेसी अधिनियम 13(4) के अंतर्गत बंधक संपत्ति पर भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। बैंक की बकाया राशि, ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित की वसूली हेतु निम्नलिखित बंधक अचल संपत्ति की ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर किया जाना है:-

क्र. शाखा	ऋणीका नाम एवं जमानतदार का नाम	अचल संपत्ति का विवरण	बकाया राशि मांग सूचना 13(2) अनुसार(रु. में)	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि, बोली वृद्धि राशि(रु. में)
1. दुर्ग	ऋणी:-1.श्री मोहम्मद कासिम खान पिता श्री घांसी खान, 2. श्री मोहम्मद नसीम खान पिता श्री मोहम्मद कासिम खान, जमानतदार:- 1.श्री मो.सफी पिता श्री मो. शेक अजीज निवासी-वार्ड 12, तांदुला नगर, दुर्ग रोड, हौंडा शो रुम बालोद जिला बालोद (छा), 2. श्रीमती सबाना बेगम पति श्री मो.सफी शेख निवासी वार्ड 12, गंजपारा बालोद जिला बालोद (छा)	मौजा:- खसरा क्रमांक 687/563, प.ह.न.-25, रा.नि.म.-कसारीडीह दुर्ग जिला- दुर्ग। कुल क्षेत्रफल:- 1200 वर्गफिट, चौहददी:- उत्तर - प्लाट नम्बर 33 का भाग, दक्षिण - अशरफ सिद्दीकी का प्लाट न. 34, पूर्व - 25 फीट सड़क, पश्चिम - अब्दुल नदीम खान का प्लाट न. 39	15.11.2022, रु. 35,44,926/- + ब्याज + अन्य व्यय आधिपत्य का प्रकार- भौतिक	रु. 50,06,000/- रु. 5,00,600/- रु. 10,000/-

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि बकाया राशि, ब्याज एवं अन्य खर्चों का भुगतान नीलामी तिथि के पूर्व कर दें। बिक्री पश्चात अन्य कोई शेष बकाया राशि की वसूली का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी के पास सुरक्षित है।

ई-नीलामी की शर्तें:- (1) ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है" एवं जो कुछ भी है "के आधार पर भार सहित (अगर कोई हो) की जावेगी। बैंक की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। भार के विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता से धरोहर राशि जमा करने के पूर्व सम्पर्क करें। नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.baanknet.com के माध्यम से आन लाईन ई-नीलामी से की जावेगी। (2) आरक्षित मूल्य से कम की निविदा/आफर स्वीकार नहीं किये जाएंगे। (3) संपत्ति निरीक्षण दिनांक 24.03.2026 से 26.04.2026 सुबह 11.00 से सायं 4.00 बजे तक संबंधित शाखा प्रबंधक की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। (4) इच्छुक बोली लगाने वाले/ खरीददारों को नीलामी के उचित समय से पहले बैंक से मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता Baanknet के संबंधित ई-नीलामी वेब पोर्टल <https://baanknet.com> में रजिस्ट्रेशन कर अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को ट्रांसफर करना होगा। यदि ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा। (5) सफल खरीददार के पक्ष में विक्रय की पुष्टि सिक्योरिटी प्रेडिक्टर की पुष्टि के अधीन होगी। (6) इच्छुक निविदाकर्ता से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं को वेब पोर्टल www.baanknet.com में नाम पंजीकृत करवाए और लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें। (7) बिक्री की पुष्टि होने पर सफल खरीददार बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जिसमें ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है तुरंत जमा करेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत राशि का 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। निर्धारित समयावधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में बोलीकर्ता द्वारा जमा राशि बिना किसी सूचना के जप्त कर ली जावेगी। (8) सफल बोलीकर्ता को सभी वैधानिक, गैर साविधिक बकायों, स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित सभी खर्च, फीस, पंजीयन शुल्क, ट्रांसफर शुल्क एवं अन्य तात्कालिक खर्च, कर, प्रभार, शुल्क, इत्यादि स्वयं वहन करने होंगे। (9) अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त संबंधित शाखा से सम्पर्क करें या ईमेल करें eauction@ccsl.co.in अथवा सर्विस प्रदाता **M/s PSB Alliance (baanknet)**, Contact No: 8291220220, Help Line E-mail ID :- support.baanknet@psballiance.com, Website: <https://baanknet.com> पर संपर्क करें एवं अंतिम मिनिट एवं सेकेण्ड में बिड करने से बचे। (10) बैंक को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

स्थान- दुर्ग, दिनांक- 24.03.2026

प्राधिकृत अधिकारी
छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- दुर्ग